मा.अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की दिनांक 08.01.2019 को आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति में,

1. सर्वश्री डा0 आर.के.जैन – मा.अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
2. डा0 पी.सतीश जॉन – मा.उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
3. श्री धीरेन्द्र सिंह दताल – प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निगम।
4. श्री एस.एस.रावत – महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निगम।
5. श्री जे.एस.रावत – सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
6. श्री वाई.एस.राणा – लेखाकार, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निगम।
7. श्री आर.पी.जुयाल – वरिष्ठ सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निगम।
8. श्री रियाज अहमद – कनिष्ठ सहायक, (संविदा) अल्पसंख्यक कल्याण निगम।
9. श्रीमती अनिता बिष्ट – कम्प्यूटर आपरेटर (आउटसोर्स), अल्पसंख्यक कल्याण निगम।
10. कु0अफशीन जहां – कम्प्यूटर आपरेटर (आउटसोर्स), अल्पसंख्यक कल्याण निगम।

बैठक में निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ संचालित अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना एवं मौलाना आजाद एजुकेशन ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण योजना की समीक्षा मा.अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की गयी। जिसमें निगम के महाप्रबन्धक एवं कर्मचारियों द्वारा द्वारा उक्त योजनाओं का संक्षिप्त विवरण बैठक में उपस्थित मा.अध्यक्ष एवं मा.उपाध्यक्ष को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया तथा योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया।

➢ अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना :–

योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय रू. 2,50,000/–हो, को स्वरोजगार स्थापित किये जाने हेतु रू. 0.20 लाख से रू. 10.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से दिये जाने का प्राविधान है। जिसमें योजना लागत का 60 प्रतिशत बैंक ऋण, 25 प्रतिशत अनुदान एवं 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 454 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष 32 अभ्यर्थियो को लाभान्वित करते हुए रू. 15.95 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में व्यय की जा चुकी है। लक्ष्य प्राप्ति के लिये जनपदों को समय–समय पर निर्देश दिये गये हैं।

➢ मुख्यमंत्री हुनर योजना :–

योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र शिक्षित बेरोजगारों जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू. 4,50,000/– एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू. 3,50,000/–हो, को विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमो के अन्तर्गत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में 37 स्वयंसेवी संस्थाओं को 925 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी हैं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान हैं।

➢ मौलाना आजाद एजुकेशन ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण योजना :–

योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय रू. 1,00,000/–हो तथा अभ्यर्थी 10+2 के पश्चात प्रोफेशनल कोर्स एवं तकनीकी कोर्स किये जाने हेतु अधिकतम रू. 5,00,000/–तक ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण दिये जाने का प्राविधान है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक कुल 193 अभ्यर्थियों रू. 557.62 लाख स्वीकृत करते हुए रू. 407.25 लाख की धनराशि व्यय कर लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत जनपदों से 36 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 10.01.2019 को चयन समिति की बैठक निर्धारित है। बैठक के निर्णय के उपरान्त लाभान्वित करने की कार्यवाही की जायेगी।

9-1-2019

➤ योजनाओ की वसूली स्थिति :–

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की वसूली की स्थिति के सम्बन्ध में मा.अध्यक्ष जी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। ऋणों की कम वसूली पर मा.अध्यक्ष जी द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी है। प्रबन्ध निदेशक द्वारा मा.अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया कि निगम अधिष्ठान में जनपद स्तर पर निगम का कोई भी कर्मचारी न होने के कारण वसूली कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त के निराकरण के लिये मा.अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि निगम द्वारा शासन को पूर्व में प्रेषित जनपदीय स्तरीय संरचनात्मक ढांचे को स्वीकृत कराने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें। ताकि निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली में गति लाई जा सके। प्रबन्ध निदेशक द्वारा मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को यह भी अवगत कराया गया कि उनके कार्यकाल दिनांक 05.01.2017 से वर्तमान तक वसूली कार्य हेतु लगातार जनपदों से समीक्षा की जा रही है तथा निगम मुख्यालय से भी बकायादारों को नोटिस प्रेषित किये जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप विगत वर्षों की अपेक्षा उनके कार्यकाल में वसूली में वृद्धि हो रही है तथा रू. 175.65 लाख की वसूली कर ली गयी है, जो कि 12 प्रतिशत है।

मा.अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्तानुसार योजनाओं की समीक्षां करते हुए निर्देश दिये गये कि निगम की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा योजनाओं में प्रगति लाने, वसूली में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर कर्मचारियों को तैनात किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाये। मा.अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि निगम के जिला प्रबन्धकों की समय–समय पर बैठक ली जाये व बैठक की सूचना मा.आयोग को दी जाये। वितरित ऋणों की वसूली में शत प्रतिशत प्रयास किया जाये।

अन्त में मा.अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
प्रबन्ध निदेशक।

प्रधान कार्यालय,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम,
अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी देहरादून।

पत्रांक/754./उ.अल्प.निगम/समीक्षा बैठक/2018–19 दिनांक 10 जनवरी 2019

प्रतिलिपि–1. निजी सचिव–मा.मुख्यमंत्रीजी, उत्तराखण्ड को मा.मुख्यमंत्रीजी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–मा.मंत्री,अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड सरकार को मा.मंत्रीजी के संज्ञानार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के अवलोकनार्थ।
5. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक, अल्पसंख्यक कल्याण निगम, उत्तराखण्ड को अनुपालानार्थ प्रेषित।

(एस.एस.रावत)
महाप्रबन्धक।